दूरभाष/Telephone: 011-26172685
फैक्स/FAX : 011-26168431

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
Employees' Provident Fund Organisation
(Ministry of Labour & Employment, Govt. Of India)
मुख्य कार्यालय/ Head Office
भविष्य निधि भवन, 14-भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066
Bhavishya Nidhi Bhawan, 14-Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066
Website: www.epfindia.gov.in

सं. पेंशन/ विविध/2009/ 1597 दिनांक 2 मई MAY 2011

सेवा में,

सभी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त/

उप क्षेत्रीय कार्यालय के प्रभारी अधिकारी

विषय - मुख्य कार्यालय के पेंशन स्कंध के साथ संबंधित अंचलों के अपर केंद्रीय आयुक्तों के माध्यम से उप क्षेत्रीय कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा पत्र व्यवहार - के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में इस कार्यालय के परिपत्र सं. पेंशन 3/2(1) 2004/डी एल /72715 दिनांक 12.8.2006 का संदर्भ लें (प्रति संलग्न) ।

2. यह देखा गया है कि उपर्युक्त परिपत्र में दिये गये निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन क्षेत्रीय/ उप क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा नहीं किया जा रहा है एवं संदर्भ क्षेत्र के अपर केन्द्रीय आयुक्त की सिफारिश के बिना इस कार्यालय को अग्रेषित किये जा रहे हैं।

3. इसके अलावा यह भी देखा गया है कि उप क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त श्रेणी-I के संदर्भ/ सिफारिश के बिना मामले को सीधे मुख्यालय को संदर्भित कर रहे हैं। कभी- कभी यह भी देखा गया है कि प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर के बिना केवल अन्य अधीनस्थ अधिकारी के हस्ताक्षर से संदर्भ प्राप्त हुए हैं।

4. अनावश्यक रूप से मुख्यालय को संदर्भित ऐसें पत्र व्यवहार सें ऐसी स्थिति पैदा हुई है जिसमें कि क्षेत्रीय या आंचलिक स्तर पर निर्णय लिया जा सकता था साथ साथ असंगत स्तर के कारण सदर्भित मुद्दों निपटान में देरी को टाला जा सकता था। साथ ही मुख्यालय प्रचालन मामलों को सुलझाने की स्थिति में भी नहीं है जिसके लिये अधिनियम/योजना/मैनुअल में उपबंध पहले ही स्पष्ट रूप से दे दिए गए हैं।

5. अत: एक बार फिर सभी को कड़ाई से सलाह दी जाती है कि सभी संदर्भ इस कार्यालय को, उपर्युक्तानुसार उचित माध्यम से अग्रेषित करें। एक बार पुनः दोहराया जाता है कि केवल ऐसें सदंर्भ ही मुख्यालय को भेजें

जाए जिनमें नीतिगत मामलों में व्याख्या/ स्पष्टीकरण शामिल हों। जिन सदंर्भों में उपर्युक्त निर्धारित प्रकिया का पालन नहीं किया जाएगा उन पर मुख्य कार्यालय के स्तर पर विचार नहीं किया जाएगा।

(इसे अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त (पेंशन)के अनुमोदन से जारी किया गया है)

भवदीय

(अभय रंजन)
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त - (पेंशन)

प्रतिलिपि:-

1. वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी।
2. मुख्य सर्तकता अधिकारी।
3. सभी अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, मुख्यालय एवं अंचल/ निदेशक,नाटरस।
4. उप निदेशक (सर्तकता) मुख्य कार्यालय/सभी आंचलिक उप निदेशक (सर्तकता)।
5. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (एन.डी.सी.) / (एन आर पी ओ) को बेवसाइट में अपलोड करने के अनुरोध सहित।
6. सभी आंचलिक लेखा प्ररीक्षा दल/सभी आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान/उप आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान।
7. मुख्य कार्यालय में सभी अधिकारी।